भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 854

04 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

करूर में शहरी विकास योजनाओं की स्थिति

†854.सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2019 से करूर निगम के अंतर्गत प्रदत्त योजनाओं का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना के तहत किए गए कार्यों की प्रगति का व्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार देश के चौथे सबसे बड़े निर्यात केंद्र करूर निगम के विकास को बल देने के लिए प्रतिपूरक सहायता के रूप में किसी नई योजना पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के साथ संविधान के अनुच्छेद 243 ब के उपबंधों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों अर्थात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) **2.0,** प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) **2.0,** स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) **2.0,** शहरी परिवहन (यूटी)**,** आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से**,** केंद्र सरकार राज्य योजनाओं को अनुमोदित करती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करती है। इन परियोजनाओं का चयन**,**

डिज़ाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/जिलों को निधियाँ जारी करती हैं।

करूर निगम में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

अमृत 2.0: वर्ष 2021 में शुरू किए गए इस मिशन के अंतर्गत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन का अधिकार दिया गया है। करूर शहर में अनुमोदित प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)	स्थिति
1	करूर जिले के करूर सिटी नगर निगम में इनाम करूर गांव एस.एफ.नं.411/1, 411/2 और 413/1 यूनिवर्सल गार्डन में हरित स्थानों का विकास।	0.19	कार्यान्वयन चरण में
2	करूर नगर निगम के थिनप्पा नगर वार्ड संख्या: 38, सर्वेक्षण संख्या: 320/105 में पार्क	0.19	

पीएमएवाई-यू: पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 **के तहत करूर नगर निगम में भौतिक और वित्तीय प्रगति इस प्रकार है:**

क्र. सं.	विवरण	2019-20 से वर्ष-वार विवरण						
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26

1	स्वीकृत आवास (सं.)	560	102	357	291	45	-	-
2	आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया (सं.)	560	102	144	324	207	18	-
3	पूर्ण/ सौंपे गए आवास (सं.)	1,027	438	174	339	83	112	138
4	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	9.13	2.40	6.35	6.17	0.68	-	-
5	जारी केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	9.65	4.25	9.47	4.57	7.90	1.42	-

एसबीएम-यू: संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वच्छता राज्य का विषय है। इस प्रकार, देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिज़ाइन करना, क्रियान्वित करना और संचालित करना राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों की ज़िम्मेदारी है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके सुविधा प्रदान कर रहा है। एसबीएम-यू के अंतर्गत, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित पूर्ण प्रस्तावों के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग के आधार पर, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से की निधियाँ जारी की जाती है, जिन्हें राज्य कार्य योजना के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आगे शहरी स्थानीय निकायों को भेज दिया जाता है।

*****